

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2017-18/2018/ दिनांक :

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2017-18/2017/900 दिनांक 28.12.2017 द्वारा जारी की गई निजी नर्सिंग स्कूल्स एवं उनकी सीटों की अन्तिम सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर को कुल 40 (राजकीय कोटे से 20 एवं फ़ैडरेशन कोटे से 20) सीटों पर केवल महिला छात्र आवंटन का उल्लेख किया गया है, के स्थान पर राज्य सरकार की आई.डी. क्रमांक : 2198 दिनांक 26.12.2017 की अनुपालना में उक्त संस्थान में महिला/पुरुष अभ्यर्थी आवंटित करने हेतु संशोधन किया जाता है।

प्रशिक्षण की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

30

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 8/5/2018

क्रमांक : प्रशि./जी-88 (पार्ट-1)/2017-18/2018/ 1181
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम जयपुर।
3. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फ़ैडरेशन, ई-277 लाल कोठी स्कीम, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित नर्सिंग स्कूल, राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु में अपलोड करने का श्रम करे।
7. जैनिथ आई.टी. सॉल्यूशन्स प्रा0.लि0, मालवीय नगर, जयपुर।
8. रक्षित/आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर